बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 133976 दिनांक :- 28/12/12

ग्रा0वि0-2/स्था0-04-09/08

प्रेषक,

कृष्ण मोहन

सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार ।

विषय :- राज्य में प्रखंडों के पुनर्गठन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न जिलों से नये प्रखंड के गठन एवं पंचायतों के पुनर्गठन से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विहित प्रपत्र में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग विभागीय पत्रांक 73533 दिनांक 20.09.11, स्मार पत्रांक 78911 दिनांक 11.11.11, स्मार पत्रांक 83660 दिनांक 13.12.11, स्मार पत्रांक 88115 दिनांक 16.01.12, स्मार पत्रांक 105551 दिनांक 23.05.12, स्मार पत्रांक 115156 दिनांक 26.07.12, स्मार पत्रांक 117762 दिनांक 17.08.12, स्मार पत्रांक 122368 दिनांक 14.09.12, स्मार पत्रांक 128986 दिनांक 12.11.12 एवं स्मार पत्रांक 133008 दिनांक 18.12.12 द्वारा की गयी थी परंतु अब तक आपके द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

जिलों में प्रखंड गठन/पुनर्गठन के संबंध में विभाग में प्राप्त प्रस्ताव में से संबंधित सूचना Excel Sheet में अंकित कर दी गयी है जिस स्तंभ से संबंधित सूचना अप्राप्त है उस स्तंभ में वर्णित पूर्ण सूचना अंकित करते हुए पूर्ण प्रतिवेदन उसी Excel Sheet में एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विदित हो कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रखंड पुनर्गठन से संबंधित प्रतिवेदन 15 जनवरी, 2013 तक निश्चित रूप से तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध भी किया जा चुका है ।

विश्वासभाजन

अनु0- आपके जिला से संबंधित प्रखंड के पुनर्गठन का Excel Sheet Soft from में ।

(कृष्ण मोहन)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 133976 दिनांक:- 28/12/12

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 133976 दिनांक:- 28/12/12

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 133976 दिनांक:- 28/12/12

प्रतिलिपि- सभी जिला के संबंधित विभागीय नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि अपने जिला से संबंधित प्रस्ताव के संबंध में वांछित प्रतिवेदन जनवरी माह में किये जाने वाले भ्रमण के क्रम में उस जिले से प्रतिवेदन निश्चित रूप से प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के विशेष सचिव